संख्या–256 / VI-2/2015–22(05)13

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादूनः दिनांक 18 मार्च, 2015

विषय :– विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कीडा हॉल के निर्माण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1128 / एस0पी0ए0पत्रा0 / 12–13 दिनांक 21.01.15 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय कीडा हॉल के निर्माण हेतु टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित ₹ 1517.69 लाख (सिविल निर्माण कार्यों हेतु ₹ 732.60 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 785.09 लाख) के सापेक्ष शासनादेश संख्या–186 / VI-2/2013–22(05)13 दिनांक 29.03.13 द्वारा धनराशि ₹ 100.00 लाख वित्तीय वर्ष 2012–13 में तथा शासनादेश संख्या–239 / VI-2/2014–22(05)13 दिनांक 19.06.14 द्वारा धनराशि ₹ 500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या–566 / VI-2/2014–22(05)13 दिनांक 15.12.14 द्वारा धनराशि ₹ 554.38 लाख पूर्व में उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि ₹ 363.31 लाख के सापेक्ष ₹ 335.27 लाख (रू0 तीन करोड़ पैंतीस लाख सताईस हजार मात्र) की धनराशि संगत मानक मद से आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284 / XXVII(1) / 2013 दिनांक 30 मार्च, 2013, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 15.12.08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

3. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर / देहरादून।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
8. जिला क्रीडाधिकारी, उधमसिंहनगर।
9. एन0आई0सी0 देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

D:\Preeti-2014-15\Sports\G.O.doc.doc

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.06 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजिगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102 –खेलकूद स्टेडियम–18–विशेष आयोजनागत सहायता (एस0पी0ए0)–24–वृहत निर्माण कार्य मद आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–395(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांक 16 मार्च 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

/

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 256 /VI-2/2015–22(09)12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

D:\Preeti-2014-15\Sports\G.O doc .doc